न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –05/2025

अनवान

किशनलाल पुत्र नन्दा भील, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम भाण्डाकुडी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कि माता श्रीमति नोजी पिता नन्दा भील के सा देह भाण्डाकुडी के खाते कि कृषि आराजीयात ग्राम भाण्डाकुडी, प०ह० जावदा, तह० रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान कि जमाबंदी सम्वत् 2051 की खाता संख्या 69 खसरा संख्या 47/19 रकबा 1.0800 हैक्टर खाते दर्ज रिकॉर्ड है जिसमे श्रीमति नोजीबाई के पति का नाम अंकित नही है, नोजी बाई के स्वर्गवास के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 155 से किशनलाल पिता नन्दा भील सा देह दर्ज रिकॉर्ड हो गया है जबकि नन्दा भील प्रार्थी के नानाजी है, तथा प्रार्थी के पिता का नाम भोजा भील है, पट्वारी पटवार हल्का तथा राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना जांच किये ही नामान्तरण संख्या 155 को तस्दीक कर किशनलाल पिता नन्दा के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया है जबकि नामान्तरण किशनलाल पिता भोजा भील दर्ज रिकॉर्ड होना चाहिए था, प्रार्थी के समस्त दस्तावेज राशन कार्ड आधार कार्ड मे तथा अन्य दस्तावेजो मे पिता का नाम भोजा भील अंकित है। जिससे प्रार्थी को खाघ बीज व अन्य सरकारी योजनाओ में लाभ लेने में भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह प्रार्थना दुरूस्ती हेतू न्यायालय श्रीमान में पेश करना आवश्यक हुआ है। नामान्तरण खुलते वक्त प्रार्थी के पिता का नाम भोजा भील कि जगह नानाजी नन्दा जी का नाम लिखा गया है, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम भोजा भील है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड ग्राम भाण्डाकुडी कि खाता संख्या 04 खसरा संख्या 289 रकबा 1.0800 हेक्टर भूमि जो मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सेटलमेन्ट से पूर्व के आराजी संख्या 47/19 करबा 1.0800 हैक्टर से बने है इसलिए उक्त खाते में प्रार्थी का नाम किशनलाल पिता भोजा भील किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भाण्डाकुडी, प०ह० जावदा तहसील रावतभाटा कि खाता संख्या 04 खसरा संख्या 289 रकबा 1.0800 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी किशनलाल के पिता का नाम नन्दा के स्थान पर भोजा भील किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 21.01.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2051–54 में आराजी संख्या 47/19 रकबा 1.08है0 भूमि मे प्रार्थी की माता का नाम नौजी पिता नन्दा भील सा. बेगूं खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वक्त विरासत सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का नाम भौजा न लगागर नाना जी का नाम नन्दा दर्ज कर

दिया गया, जो कि जमाबंदी संवत् 2056–59 में दर्ज रिकार्ड है जबकि वास्तविक दस्तोवजों मे प्रार्थी के पिता का नाम नन्दा न होकर भौजा भील है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम जमाबंदी संवत् 2076–79 मे किशनलाल पिता नन्दा के स्थान पर किशनलाल पिता भौजा किया जाना बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व एवं ग्राम पंचायत बडोदिया के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम भाण्डाकुडी, प०ह० जावदा, तह० रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान कि जमाबंदी सम्वत् 2051 की खाता संख्या 69 खसरा संख्या 47/19 रकबा 1.0800 हैक्टर भूमि मे प्रार्थी के पिता के स्थान पर प्रार्थी के नाना जी का नाम नन्दा अंकित है, जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम भोजा होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी किशनलाल के पिता नाम नन्दा के स्थान पर भोजा करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:–आदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम भाण्डाकुडी, प०ह० जावदा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 04 खसरा संख्या 289 रकबा 1.0800 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी किशनलाल के पिता का नाम नन्दा के स्थान पर भोजा भील दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़